

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9907(7)/2015-16/223 दिनांक:-22/12/16

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति-बालेसर (जोधपुर)

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

संदर्भ:- राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प 5(10) प्रा.शि./2015 दिनांक 24.11.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01)-उ.प्रा.वि. (बालक), [01]-स्थापना व्यय, 04-चिकित्सा व्यय (आयोजना मिन व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए शासन की संदर्भित स्वीकृति के क्रम में निम्नानुसार कार्यालय को सामान्य/गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र.स.	IFMS UID CODE	बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	1485	बालेसर (जोधपुर)	48266	श्री भगवान सिंह राठौड अ. राउप्रावि लोडता अचलावता के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	48266	

(अंके रूपये अडतालीस हजार दो सौ छयासठ मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।


लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. सहायक निदेशक, शिक्षक संस्थापन अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनके पृष्ठांकन क्रमांक शिविरा/शि. संस्था/एफ-3/चि.पुनर्भरण/भगवान सिंह/2015 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी